राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-66)पार्ट / निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2013 / 3672-816 दिनांक : 16/7/13

—: आदेश :—

राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8375—8675 दिनांक 11.12.2012 के बिन्दु संख्या 10 के माध्यम से एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत जलग्रहण समिति स्तर के समस्त प्रशिक्षण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में उपलब्ध मिटिंग हॉल में ही आयोजित करने के निर्देश दिये गये थे।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सामान्यतः एक परियोजना में कई ग्राम पंचायतें सम्मिलित होती है एवं एक ग्राम पंचायत के 2—3 ग्राम भी परियोजना में सम्मिलित हो सकते है तथा जिस ग्राम में राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्मित किया गया है, वह परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित हो यह आवश्यक नहीं है। इस कारण राजीव गांधी सेवा केन्द्र से दूरस्थ (1 कि.मी. से अधिक) के लाभार्थी दूरी के कारण प्रशिक्षण में भाग नहीं ले पाते है एवं उस केन्द्र के आस—पास के लाभार्थियों को ही उक्त प्रशिक्षणों का बार—बार लाभ मिलता है, जबकि ग्राम पंचायत के बहुत से पात्र एवं जरूरतमंद लोग प्रशिक्षण से वंचित रह जाते है।

अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 8375—8675 दिनांक 11.12.2012 के बिन्दु संख्या 10 में संशोधन करते हुए निर्देश दिये जाते है कि जिस राजस्व ग्राम में राजीव गांधी सेवा केन्द्र है, उसके 1 कि.मी. परिधी के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों के जलग्रहण समिति स्तर के प्रशिक्षण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर ही आयोजित किये जावें तथा 1 कि.मी. से अधिक की दूरी के गांवों के पात्र एवं जरूरतमंद लोगों के जलग्रहण समिति स्तर के प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर राजकीय भवनों यथा स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन आदि में राजकीय अवकाश के दिनों में आयोजित किये जावें। उक्त प्रशिक्षण हेतु भवन के उपयोग हेतु निर्धारित शूल्क प्रशिक्षण मद में उपलब्ध राशि में से भारित किया जावें।

उक्त आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. के स्तर से अनुमोदित है।

(एम.एस.काला)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-66)पार्ट / निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2013 / 3672-816 दिनांक 16/7/13

प्रतिलिपि :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (समस्त जिले)
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
9. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त जिले) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की प्रति अधिनस्थ पी.आई.ए. को उपलब्ध करवा कर अनुपालना सुनिश्चित करावें।
11. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (IWMP)